कार्यालय परिपत्र सं० – 1819110 दिनांक 15-03-2019

पत्र संख्या ::सी0सी0टी0 / निरी0अनु0 / पंजीयन(2018–19) / 1721 / वाणिज्य कर,
कार्या0–कमिश्नर, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश
{ निरीक्षण–अनुभाग }
लखनऊ : दिनांकः 15 ,मार्च, 2019

समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1,
समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर(कार्यपालक)
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

कृपया मुख्यालय के परिपत्र सं0–1819063 / 1080, दिनांक 14.11.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पंजीयन सत्यापन के सम्बन्ध में दिनांक 01 नवम्बर, 2018 के उपरान्त सभी पंजीयन प्रार्थना पत्रों की जांच एवं व्यापार स्थल का सर्वे परिपत्र में दिये गये निर्देशानुसार किये जाने के निर्देश दिये गये हैं, परन्तु आनलॉइन एम0आई0एस0 पर दिनांक 01.11.2018 से 14.03.2019 तक न्यू रजिस्ट्रेशन डीलर वेरिफिकेशन रिपोर्ट में प्राप्त आंकडों के अनुसार कुल 45409 डीलर्स के सापेक्ष मात्र 17805 डीलरो का वेरीफीकेशन किया गया है, और कुल 26563 डीलर्स पेन्डिंग है। उक्त से स्पष्ट होता है कि आपके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा मुख्यालय के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा सम्बन्धित पर्यवेक्षकीय अधिकारियों द्वारा मुख्यालय के निर्देश का अनुपालन कराने में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सेक्टरवाइज वेरीफिकेशन रिपोर्ट का परीक्षण करने पर पाया गया कि कुछ सेक्टर के अधिकारियों द्वारा 01 नवम्बर, 2018 से अबतक नये पंजीकृत व्यापारियों का वेरीफिकेशन शून्य किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि मुख्यालय के परिपत्र सं0–1718053 / 619, दिनांक 21.11.2017 द्वारा पंजीयन के सत्यापन के समय अस्तित्व में नहीं पायी गयी फर्मों तथा घोषित व्यापार स्थल पर कोई व्यापारिक गतिविधि नहीं पाये जाने पर की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये थे। उपरोक्त परिपत्रों में दिये गये निर्देशों का शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(अमृता सोनी)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।